



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9039/2025

Mousim @ Mousam S/o Chhuttan, R/o Kahrani, Police Station
Bhiwadi Phase Third, Tehsil Tapukara, District Khairthal-Tijara,
Raj.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ishwar Lal Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Sudesh Saini, PP Mr. Shivraj Singh Shekhawat, I.O., Dy. S.P., Tijara

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

09/12/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना-टपूकड़ा, भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-88/2025 अपराध अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, सह-अभियुक्त आदिल द्वारा अनुसंधान के दौरान अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग विरोधाभासी कथन किये हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Tofan Singh Vs. State of Tamil Nadu (2021) 4 SCC 1 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि सह-अभियुक्त का कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा पूर्व में पुलिस अधीक्षक द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं हुआ है, बाद में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही तथा उचित सामग्री के अभाव में



अभियुक्त के विरुद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आरोप पत्र पेश किया है, जो विधिसम्मत नहीं है, अकारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

समकक्ष पीठ द्वारा दिये गये आदेश की पालना में वर्तमान अनुसंधान अधिकारी श्री शिवराज सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, तिजारा उपस्थित, जिनका निवेदन है कि पूर्व में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामला प्रमाणित माना और धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है, लेकिन अनुसंधान सत्यापन हेतु उनके पास मामला लंबित है।

विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि सह-अभियुक्त आदिल से 7.770 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, यह प्रार्थी-अभियुक्त मौसिम उर्फ मौसम से प्राप्त होना बताया है और इस संबंध में अनुसंधान होना भी शेष है, अभियुक्त फरार है, उसके अलावा अन्य सह-अभियुक्त भी फरार हैं, अतः ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर अग्रिम जमानत की सुविधा दी गई, तो विचारण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, अंत में प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

घटना के दिन आदिल से 7.770 ग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है, पूर्व में अभियुक्त आदिल के द्वारा यह सामग्री वकील व सलीम नाम के अभियुक्त से प्राप्त करना बताया लेकिन बाद में इकबाल व साहून से यह सामग्री प्राप्त करना बताया है, लेकिन अंततः धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के कथनों में वर्तमान प्रार्थी-अभियुक्त से यह सामग्री अवैध रूप से प्राप्त करना कथन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय *State of Haryana Vs. Samarth Kumar* 2022 SCC Online SC 2087 के मामले में *Tofan Singh Vs. State of Tamil Nadu* (पूर्वोक्त) के निर्णय पर विचार करने के उपरांत यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि अग्रिम जमानत के मामले में *Tofan Singh Vs. State of Tamil Nadu* (पूर्वोक्त) का लाभ अभियुक्त प्राप्त



करने का अधिकारी नहीं है, ऐसे सह-अभियुक्त की प्रकटकारी इत्तिला के आधार पर अनुसंधान के उचित आधार होते हैं। वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित मानते हुए धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आक्षेप, अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J